

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 2188/2011

बंशीधर शर्मा

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक :

29.03.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री अनिल उपमन, अधिवक्ता— याची की ओर से।  
श्री शेरसिंह महला, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक पूर्व में पारित  
अन्तरिम आदेश यदि कोई है तो वह प्रभावी रहेगा।

(बनवारी लाल शर्मा)  
न्यायाधिपति